मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांकः 11.08.2022

मीरजापुर पुलिस द्वारा 13.060 किग्रा अवैध गांजा(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब ₹ 2.7 लाख) के साथ 02 तस्कर गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 11.08.2022 को थानाध्यक्ष चील्ह अजीत कुमार श्रीवास्तव मय पुलिस बल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि इस दौरान थाना चील्ह क्षेत्र से 02 व्यक्तियों 1. प्रदीप साह पुत्र स्व० लक्ष्मण साह निवासी नियामतपुर थाना राजौन जिला बांका, बिहार 2.भागीरथी बिंद पुत्र रामसजीवन निवासी लखमापुर थाना कोतवाली देहात, मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से झोले में प्लास्टिक के 03 बण्डलों में रखा कुल 13.060 किग्रा अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चील्ह पर मु0अ0सं0- 90/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर गांजा बिक्री करने का काम करता है जो गांजा लेकर बिक्री करने हेतु जा रहे थे कि पकड़े गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1. प्रदीप साह पुत्र स्व० लक्ष्मण साह निवासी नियामतपुर थाना राजौन जिला बांका, बिहार
2. भागीरथी बिंद पुत्र रामसजीवन निवासी लखमापुर थाना कोतवाली देहात मीरजापुर

बरामदगी विवरण—

अवैध गांजा कुल13.060 किग्रा(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब ₹ 2.7 लाख).

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

थानाध्यक्ष चील्ह- अजीत कुमार श्रीवास्तव मय टीम।